रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1985/कार्तिक 24, 1907
No. 501] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1985/KARTIKA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

सं. 239/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 848(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1984 में निम्नलिखित और संशोधन

करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में, संदर्भ सं. 6.03 के सामने, स्तम्भ (5) में, स्पष्टीकरण में, "कोई मात्रा ऐसे उपयोग के पश्चात् ऐसी परिष्करणी को वापिस कर दी जाती है" शब्दों के स्थान पर "कोई मात्रा ऐसे उपयोग के पश्चात् उपर्युक्त के अनुसार घोषित किसी परिष्करणी को वापिस कर दी जाती है" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 83/8/84-सीएक्स-3]
सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th November, 1985

NOTIFICATION

No. 239|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75|84-Central Excises, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in column (5) against Ref. No. 6.03, in the Explanation, for the words "any quantity is returned after such use to the refinery from which the raw naptha was received", the words, brackets and figures "any quantity is returned after such use to any refinery declared as aforesaid" shall be substituted.

[F. No. 83|8|84-CX-3]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985